

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9996 / 4187

दिनांक :- 9-9-19

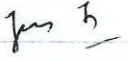
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती/ सुश्री चैन सिंह चौहान [लिंक न. 9996] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर - [15021] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 18/07/2017 से 28/07/2017 तक 11 दिवस (गणितसा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री चैन सिंह चौहान की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 9996 / 4187

दिनांक :- 9-9-19 .

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर
2. कोषाधिकारी अलवर
3. श्री /श्रीमती/ सुश्री चैन सिंह चौहान [9996] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)